न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. रावताराम पुत्र श्री रणछोड प्रजापत, जाति- प्रजापत,
   निवासी- राणा चौक, डाक बंगले के पीछे, रेवदर, तहसील-रेवदर, जिला- सिरोही
   (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स गणेश किराना स्टोर, मन्डार रोड, रेवदर, जिला- सिरोही

2. भंवरलाल राठौर, निवासी- मीणों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली
   (खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)

फर्मः- श्री शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली

3. प्रवीण कुमार राठौर, निवासी- मीणों का वास, सुमेरपुर, जिला- पाली
   (खाद्यकारोबारकर्ता एवं निर्माता)

फर्मः- श्री शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीणों का वास, सुमेरपुर,जिला-पाली

प्रकरण संख्याः 20/2017

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रतिवादी संख्या- 1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 सितम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 19.6.2017 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.8.2016 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स गणेश किराना स्टोर, मन्डार रोड, रेवदर, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रावताराम पुत्र रणछोड प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- राणा चौक, डाक बंगले के पीछे, रेवदर, जिला- सिरोही है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की 15 सील पैक्ड बोतलें (प्लास्टिक) (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड)

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested

की 4 सील पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 500 एम.एल.) जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 220/- अदा कर खरीद रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं. 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना बोतल पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-639 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रावताराम ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.8.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विशाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 24.8.2016 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैंनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रावताराम से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना S-639 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति भिजवाई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रतिवादी रावताराम व निर्माता फर्म ने पुनः जांच आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन,

.....पेज तीन पर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिला मजिस्ट्रेट) सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested

पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (रावताराम) की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-1 (रावताराम) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने प्रतिवादी संख्या-1 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा किसी व्यक्ति को तिल्ली का तेल विक्रय नही किया जा रहा था व न ही विक्रय किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कीमत राशि रुपये 220/- अदा नही किये है, केवल खाली कागज पर प्रतिवादी रावताराम के हस्ताक्षर करवाये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी रावताराम के समक्ष कार्यवाही नही की है व न ही स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर कराये है। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा नमूना संख्या एस-639 की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की सारणी के पद संख्या 1 से 10 से साफ जाहिर है कि उक्त नमूनें में पाये गये रिजल्ट में कोई अंतर नही है व नमूना निर्धारित मानक के अनुसार है, लेकिन खाद्य विश्लेषक ने जांच रिपोर्ट की ऑपिनियन में बिना किसी आधार के नमूनें को मिथ्याछाप बताया है। वैसे भी उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण/पैकिंग रावताराम ने नही किया है, बल्कि शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज द्वारा किया गया है, इसलिये प्रतिवादी रावताराम को इस प्रकरण से दोषमुक्त करावे। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री दलपत राज ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में यह व्यक्त किया कि तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का सप्लायर प्रतिवादी संख्या-2

....पेज चार पर,

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested

है व निर्माता प्रतिवादी संख्या-3 है, लेकिन प्रतिवादी संख्या- 2 व 3 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन नही किया है। तिल्ली के तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नही पाई गई व तिल्ली का तेल निर्धारित सभी मानकों के अनुरुप ही जांच रिपोर्ट में पाया गया है। तिल्ली का तेल की पैकिंग बोतल के लेबल पर निर्माता का पता अंकित किया हुआ है, लेकिन मानवीय भूलवश पूरा पता अंकित नही होने से जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप बताया गया है, इसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उक्त त्रुटि का सुधार कर दिया है, इसलिये मानवीय भूल को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.8.2016 को 12.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स गणेश किराना स्टोर, मन्डार रोड, रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से रावताराम पुत्र श्री रणछोड प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- राणा चौक, डाक बंगले के पीछे, रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स गणेश किराना स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री किशन सिंह पुत्र श्री चम्पालाल राजपुरोहित, निवासी- तारसिंगडी, तहसील- पचपदरा, जिला- बाडमेर के समक्ष विक्रेता रावताराम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की 15 सील पैक्ड बोतल (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की 4 सील पैक्ड बोतल (प्रत्येक 500 एम.एल.) को उक्त गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता रावताराम से नमूना जांच हेतु क्रय किये व उसकी कीमत राशि रुपये 220/- (अक्षरे रुपये दो सौ बीस मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता रावताराम व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-639, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता रावताराम व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) के चारों सील पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-639 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पीर विक्रेता रावताराम व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता रावताराम व गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स गणेश किराना स्टोर, मन्डार रोड, रेवदर, जिला- सिरोही में विक्रेता रावताराम पुत्र श्री रणछोड प्रजापत से खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक पैकेटो को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों पैक पैकेटो के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.8.2016 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा विशाल सिंह, वार्ड बॉय के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 24.8.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-639 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./974/Act/2016/1042 दिनांक 05.9.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स गणेश किराना स्टोर, मन्डार रोड, रेवदर, जिला- सिरोही में विक्रेता रावताराम पुत्र श्री रणछोड प्रजापत से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत Misbranded पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल के पैकिंग लेबल पर निर्माता/पैकर का पता अंकित है, लेकिन पूरा पता अंकित नही है।

....पेज छः

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/6207-09 दिनांक 23.9.2016 से प्रतिवादी रावताराम व निर्माता फर्म श्री शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर, जिला- पाली को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी रावताराम की फर्म गणेश किराना स्टोर, रेवदर ने उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की 500-500 एम.एल. की सील पैक्ड बोतलों को जरिये बिल/वेट इनवोइस नंबर 1717 दिनांक 08.6.2016 के द्वारा फर्म श्री शारदा ट्रेडर्स, हनुमान चौक, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली से क्रय किया गया था, जो कमल ब्राण्ड तिल्ली का तेल की डीलर फर्म है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की उत्पादक/निर्माता फर्म श्री शारदा ऑयल, इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीणों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला- पाली है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म श्री शारदा ऑयल इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीनों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला- पाली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 के तहत खाद्य पदार्थ तिल्ली का तेल (कमल ब्राण्ड) की उत्पादक/निर्माता फर्म श्री शारदा ऑयल, इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीणों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। श्री प्रवीण कुमार राठौर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री शारदा ऑयल, इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीणों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला- पाली को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म श्री शारदा ऑयल, इण्डस्ट्रीज, नाहर के पास, मीणों का मोहल्ला, सुमेरपुर, जिला- पाली पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

25/09/2020

(गितेश श्री मालवीया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

अति0 जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:19:23 IST
Reason: SelfAttested